A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under section 5E of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948:—

I. (a) Annual Report and Accounts of the Kandla Dock Labour Board, for the year 1995-96 together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library, *See* No. LT-1444/97]

II. (a) Annual Adminisrtation Report and Accounts of the Calcutta Dock Labour Board, for the year 1995-96 together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (I) and (II) above.

[Placed in Library, *See* No. LT-1500/97]

I. Notification of the Ministry of Home Affairs publishing the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 1996.

II. Notification of the National Capital Territory of Delhi.

III. Notification of the Ministry of Home Affairs publishing the B.S.F. Engineering set up Recruitment Rules, 1996.

IV. Assessment Report (1995-96) on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): Madam, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs, Notification G.S.R. No. 592(E), dated the 27th December, 1996, publishing the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 1996, under sub-section (3) of Section 30 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

[Placed in Library, *See* No. LT-1517/97]

II. A copy (in English and Hindi) of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Department of Urban Development) Notification No. F. 13 (125)/94-96/UD/10922, dated the 15th July, 1996, publishing the Delhi Municipal Corporation (Tax on Advertisements other than Advertisements published in Newspapers) Bye-laws, 1996, under sub-section (3) of Section 490 of the Delhi Municipal Corporation act, 1957.

[Placed in Library, *See* No. LT-1461/97]

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs, Notification G.S.R. No. 553, dated the 14th December, 1996, publishing the Border Security Force Engineering set up (Group 'C' combatised, technical staff) Recruitment Rules, 1996, under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

[Placed in Library, *See* No. LT-1459/97]

IV. A copy (in English and Hindi) of the Twenty-seventh Annual Assessment Report on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union, for the year 1995-96.

[Placed in Library, *See* No. LT-1460/97]

MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL CADET CORPS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): Madam, I move:

That in pursuance of Clause (i) of sub-section (1) read with sub-section (1A) of

section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to be a member of the Central advisory Committee for the National Cadet Corps.

The question was put and the motion was adopted.

PERSONAL EXPLANATION

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उपसभापति महोदया, मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं। मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। 24 तारीख को मैं यहां पर नहीं था और माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझ पर एक आरोप लगाया था, इस संबंध में मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। उपसभापति महोदया, 24 फरवरी को इस महा सदन में भारतीय जनता पार्टी के श्री राजनाथ सिंह जी ने शून्य काल में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मुझ पर मिथ्या, निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोप लगाया था। मैं उसका स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री सिंह ने स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा था "इटावा के रहने वाले एक महानुभाव जो रक्षा मंत्री भी हैं जब भी किसी प्रमुख पद पर बैठते हैं और जब भी वह मुख्य मंत्री बनते हैं तो ये चारों जनपद (इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, एटा) हिंसा और आतंक के केन्द्र बन जाते हैं और इन चारों जनपदों में दहशत की स्थिति व्याप्त हो जाती है। श्री बह्मदत्त द्विवेदी की जो हत्या हुई है उसे मैं एक राजनीतिक हत्या करार करना चाहता हूं।"

महोदया, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे। स्वर्गीय द्विवेदी का पूरा परिवार जानता है कि उनकी हत्या से मुझे गहरा सदमा लगा है। उनकी कायरतापूर्ण हत्या की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं जब उनके घर गया तो उनके भाई श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने तीन पत्र देकर जो भी समस्यायें बताई मैंने तत्काल उत्तर प्रदेश शासन से उस सारी समस्याओं का निराकरण कराया। उनके परिवारजन चाहते थे कि मैं उनकी तेरहवीं में शामिल होऊं और श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने फोन करके भी मुझसे आने का अनुरोध किया था किन्तु मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण वहां नहीं पहुंच सका था।

महोदया, मैं नहीं चाहता था कि इस हत्या को राजनैतिक रंग दिया जाए। मैं चाहता हूं कि श्री द्विवेदी के हत्यारों को ऐसी कठोर सजा मिले जिससे भविष्य में इस तरह की हत्याओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं यह समझता था कि श्री राजनाथ सिंह जी पढ़े-लिखे एवं समझदार नेता हैं और इसलिए उनसे इस तरह के घटिया और बेबुनियाद बयान की आशा नहीं थी। उनके बयान के बाद मुझे 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है।

महोदया, स्वर्गीय द्विवेदी हत्या काण्ड के एक अभियुक्त से, जब वह मैनपुरी जेल में रासुका में निरूद्ध था, दिनांक 5.6.96 को अपराह्न चार बजकर सोलह मिनट से चार बजकर 38 मिनट तक, श्री राजनाथ सिंह एवं उनके वरिष्ठ साथी मैनपुरी जेल में मिले थे। सदन में कल चर्चा होगी तब सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी। महोदया, अफसोस है कि भाजपा के जो नेता स्वर्गीय द्विवेदी की हत्या के अभियुक्तों से जेल में मिलते रहे हैं, वे ही मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। यह सदन स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी से फरूर्खाबाद जिले की समाजवादी पार्टी के नेताओं के रिश्ते राजनैतिक मतभेद के बावजूद भी अत्यधिक मधुर थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जांच में सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की लीडरशिप श्री द्विवेदी के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्दर से शशांकित थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार भाजपा के नेता ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मेरे नाम का बार-बार उल्लेख किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Who is he? ...*(Interruptions)*... He cannot talk this to here...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): उसके बाद आप भी बोलिएगा ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The personal explanation is under rule 241 and he is making it.